

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

आर0 के0 महाजन,
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी निदेशक,
सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी

पटना, दिनांक : 04.12.14

विषय:-

विभिन्न अवसरों पर सरकारी सेवकों के पोशाक (ड्रेस) के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या-1508 दिनांक-03.12.2007 द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प सं0-1508 दिनांक-03.12.2007 द्वारा राज्य कर्मियों (पुरुषों एवं महिलाओं) को औपचारिक तथा समारोह के अवसर पर तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति को ऑफिसियल डियुटी मानते हुए पोशाक (ड्रेस) के संबंध में जारी आदेश का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।

अतः मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या-1508 दिनांक-03.12.2007 की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि औपचारिक तथा समारोह के अवसर पर एवं माननीय न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति के समय उक्त संकल्प में जारी निर्देशों का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन


(आर0 के0 महाजन)
प्रधान सचिव

2
95

बिहार सरकार,

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

§ सामान्य शाखा §

सनी निदेशन / DEOS का
पेसि नरन से निदेशन
अनुस 26/11/568

संकल्प

सं- ए/स्था. 11-1009/2007-... / पटना-15, दि० 03. दिसंबर, 07.

निदेशन (प्रयास)

विषय:- विभिन्न अवसरों पर सरकारी सेवकों के पोशाक §इंस§ के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक- 1160 पा. जी. दि० 12.06.1952 द्वारा औपचारिक अवसरों अथवा समारोहों के अवसर पर सरकारी पदाधिकारियों/ कर्मियों द्वारा पहने जाने वाले पोशाक §इंस§ के संबंध में अनुदेश जारी किया गया था । पुनः विभागीय पत्रांक- ए./सी. -14015/53-पी.जी.आर. दि० 24.05.1954 द्वारा समारोहों के अतिरिक्त कार्यालय में पहने जाने वाले पोशाकों के संबंध में भी अनुदेश जारी किया गया। अल्पकाल पत्रांक- ए/सी. 2/105/57-पी.जी. -2202 दि० 25.10.57 पत्रांक- ए./पी. ए. 18-101/65-2037 दि० 10.08.1965 द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देशों को सुदृढाया गया। विभागीय पत्रांक- संभ०05-1008/04-593 दि० 01.07.04 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति को ऑफिसियल ड्यूटी मानते हुए वर्ष 1954 में जारी अनुदेश का दृढ़तपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी सरकारी सेवकों को निर्देशित किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक- ए./स्था. 11-1009 §इंस§-1032 दि० 24.08.2007 द्वारा पूर्व के पोशाक संबंधी निर्देशों के अनुपालन हेतु अनुदेश निर्गत किया गया ।

2. पोशाक संबंधी पूर्व में निर्गत सभी अनुदेश काफी पुराने हो चुके हैं। पोशाक कायदा लामबंद होता है तथा जून 1954 की मान्यताओं एवं मूल्यों में काफी परिवर्तन आ गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पोशाक क्या हो, इस पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता महसूस की गयी। एतद् विषयक सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सम्भव विचारोपरान्त राज्य सरकार के ऐसे कर्मियों, जिनके लिए वर्दी पूर्व से ही निर्धारित नहीं है के लिए राज्य सरकार में निम्नांकित पोशाक की अनुमति का निर्णय लिया है :-

विधिलिखित कर्मियों §पुस्कों एवं महिलाओं§ के लिए निम्न पोशाक का सुझाव दिया जाता है:-

सं § औपचारिक व तथा समारोह के अवसर पर

<u>पुस्कों के लिए</u>	<u>महिलाओं के लिए</u>
शेरवाना एवं बुड़ीदार पैजामा/काला बटन्ड अफ कोट तथा फुल्लैन्ट शिथे काला, लफेद अथवा अन्य हल्के एवं सौम्य रंग के हो सकते हैं ।	साम्य रंग की साधारण बोर्डर वाली ज़ाड़ी ।

